

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*298  
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र

**\*298 श्रीमती जोबा माझी:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झारखंड के नक्सल प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडी) के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण कई पात्र बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है; और
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसका संज्ञान लेकर झारखंड में 2000 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने को मंजूरी देगी?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

**“एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र” विषय पर दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) और (ख):** 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जहाँ विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक मिशन है जहाँ किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएँ प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। यह मिशन झारखण्ड राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य सहित देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से झारखण्ड राज्य के लिए 38,957 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जहाँ जुलाई 2025 तक पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार 31,68,971 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत लाभार्थियों में 26,65,054 बच्चे और 1,20,148 स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। अब तक, देश भर में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से, मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखण्ड राज्य के 495 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं।

इसके अलावा, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय गाँवों में जनजातीय परिवारों की पूर्ण कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह मिशन लगभग 63,843 जनजातीय बहुल गाँवों में कार्यों में तालमेल, पहुँच और पूर्ण कवरेज पर केंद्रित है। इन गाँवों में ऐसे गांव शामिल हैं जिनकी आबादी 500 या इससे अधिक है

जिसमें कम से कम 50% जनजातीय लोग हैं तथा आकांक्षी जिलों के ऐसे गाँव शामिल हैं जिनमें कम से कम 50 जनजातीय लोग हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलाप में 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है। अब तक, मंत्रालय ने झारखंड राज्य में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित देश भर में 875 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है।

\*\*\*\*\*